प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 14.12.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 278/24 धारा 105/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.11.2024 को थाना बिनौली पर वादी प्रमोद पुत्र स्व0 भोपाल सिंह निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी वादी के भाई अरुण उर्फ काला उम्र करीब 40 वर्ष का शव सुबह रामपाल पुत्र सुबेसिंह निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत के घेर में मृत अवस्था में पडा हुआ मिला, जिसके शरीर पर गुम चोट के निशान थे, जिससे उसकी मृत्यू हुई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 278/24 धारा 105 बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 278/24 धारा 105/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा दिनांक 25-11-2024 को अभियुक्त सन्दीप उर्फ सोनू पुत्र भंवर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकेश पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 विकुल कुमार थाना बिनौली

2- है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 14.12.2024

थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस सैल व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 291/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.12.2024 को थाना बिनौली पर वादी अन्नु पुत्र महेक सिंह निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नीरज पुत्र गुल्लू, 2.मोन्टू पुत्र तेजपाल निवासीगण सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के भाई अमीर पुत्र महेक सिंह निवासी सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत को घर से बुलाकर ले जाना तथा जंगल ग्राम फजलपुर में शराब पिलाकर महेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह के ईख के खेत मे गोली मारकर हत्या कर देना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 291/24 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस, सर्विलांस सैल व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 291/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित/प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 191(2)/191(3)/190 बीएऩएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-निखिल उर्फ मोन्टू पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत।

2. सूरज पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत।

3.अजय उर्फ छंगा पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत।

4.नितिन उर्फ पण्डा पुत्र किरण पाल निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना बिनौली।

2- निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली।

3-निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह चहर एसओजी प्रभारी मय टीम।

4-निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

5- उ0नि0 श्री नीलकान्त थाना बिनौली।

6- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली।

7 का0 813 दोसेन्द्र थाना बिनौली।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 14.12.2024

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1015/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1015/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त आजाद पुत्र वहीद को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आजाद पुत्र वहीद निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली टीम-

1-निरी0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-म0उ0नि0 मोना शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 1066 सुमित थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस